SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश संख्या–04/प्रा॰आ॰(बाढ़ हेतु सूखा राशन)–02/2025-**54**(आ॰)/आ॰प्र॰, राँची दिनांक–**23.09.2025**

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा॰प्र॰से॰
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
साहेबगंज।

विषय – मुख्य शीर्ष–2245 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी जिलों में सम्भावित बाढ़ हेतु सूखा राशन एवं अन्य मदों में व्यय हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 50,00,000/– (पचास लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं॰–95(स्वी॰) दिनांक–04.07.2025

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष–02–खाद्यान्न की आपूर्ति, विस्तृत शीर्ष –03–प्रशासनिक व्यय, इकाई–23–आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड–39–S–2245–02–101–02–00–03–23	50,00,000/– (पचास लाख) रुपये मात्र

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–21.05.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय–04 के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :–

"राज्य के सभी जिलों में संभावित बाढ़ हेतु सूखा राशन एवं अन्य मदों में व्यय के लिए जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख) रुपये के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राशि का आवंटन संबंधित जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं आवश्यकता के अनुरूप दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यशीर्ष–2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष–02–खाद्यान्न की आपूर्ति, विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय, 23–आपूर्ति एवं सामग्री (विपत्र कोड–39-S-2245-02-101-02-00-03-23) में 20,00,00,000/– (बीस करोड़) रुपये की राशि उपबंधित है।"

3. उक्त आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2025–26 में संभावित बाढ़ हेतु सूखा राशन एवं अन्य मदों में व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के लिए गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I दिनांक–11.07.2023 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

आवंटनादेश संख्या—04 / प्रा॰आ॰(बाढ़ हेतु सूखा राशन)—02 / 2025-**54(आ॰)** / आ०प्र०, राँची दिनांक—**23.09.2025**

4. इस आवंटित राशि का व्यय संभावित बाढ़, 2025 हेतु किया जायेगा। विगत वर्षों के बकाया राशि का भुगतान उक्त आवंटित राशि से नहीं किया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, साहेबगंज अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद—मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

7. सभी भुगतान बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. संबंधित उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक आश्रित / लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।

9. उपायुक्त के कार्यालय में भुगतान से संबंधित अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें पूर्ण साक्ष्य एवं भुगतान की विवरणी उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

11. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक—604 दिनांक—18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०—5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन—लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—33-03/2020-NDM-I दिनांक—11.07.2023 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

13. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19–A में उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

14. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

15. महालेखाकार से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय—समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।

18. संबंधित उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि SDRF मद एवं मानदण्ड के अनुरूप ही राशि का व्यय हो। आँकड़ों की सत्यता के लिए संबंधित उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

19. प्रासंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

23.09.25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–04/प्रा॰आ॰(बाढ़ हेतु सूखा राशन)–02/2025-**54(आ॰)**/आ०प्र०, राँची दिनांक–**23.09.2025**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–04/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.09.25

सरकार के सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वितीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 02/2025/54(AA)

दिनांक - 23-Sep-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450210102000323 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 02 - खाद्यान्न की आपूर्ति 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	61872	SBJLDR004 GAUTAM KUMAR BHAGAT ADDL.COLL.SAHIBGANJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,000,000.00 रुपये पचास लाख

योग: रुपये पचास लाख 5,000,000.00

क्रमिक योग:

23/09/25

(RAJESH KUMAR SHARMA)

SECRETARY

 49.37.74.203 Run Date: 23/9/2025